CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) ACT, 2022

Recently, The Ministry of Home Affairs (MHA) has notified the rules governing The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022

Key Points

About the Act:

- The act **replaced the 102-year-old Identification of Prisoners Act, of 1920.**

Provision of the Act

- **Collection of Samples:** It would enable police and central investigating agencies to collect, store and analyse physical and biological samples including retina and iris scans of arrested persons.
- **Who is covered under the Act?**
  - It widens the ambit of such persons to include all convicts, arrested persons, as well as persons detained under any **preventive detention law.**
- **Retention of Details:** The Act requires the details collected to be retained in digital or electronic form for 75 years from the date of collection.
  - The **National Crime Records Bureau** under the Union Ministry of Home Affairs, will **collect, store, process,** share and destroy the data.
  - Information about **first-time offenders** will be deleted after all legal remedies have been exhausted.
- **Powers of Magistrate:** Magistrate may direct a person to give details for the purpose of an investigation or proceeding under the CrPC.
- **Rule-making power extended to the central government:** The 1920 Act vested rule-making power only in the state government.
  - It **extends this power to the central government** as well.

Significance:

- It will help the investigating agencies **to obtain necessary legally admissible evidence** and establish the crime of the accused person.
- It will **minimise the threat from organised crime, cybercriminals and terrorists** who are proficient in identity theft and identity fraud.
- The Bill will strengthen prosecution as well as assist investigation authorities. There is also a possibility that this will result in a rise in court conviction rates.

What are the concerns?

- **Selvi Vs State of Karnataka:** The Supreme Court had held that investigative techniques when taken against a person's consent would infringe the fundamental right against self-incrimination guaranteed by **Article 20(3)** of the Constitution and the right to life guaranteed under **Article 21 of the Constitution.**
- It could also violate a **person's right to privacy.** Currently, India does not have a data protection law.
- It can be misused / a mix-up of samples could result in the conviction of the wrong person. DNA evidence is not 100% accurate.
- Although it states that an arrested individual not charged with an offence against a woman or child may refuse to have biological samples taken, not all detainees may be aware that this option exists. Furthermore, it might be simple for the police to disregard such rejection and then subsequently assert that they had the detainee's consent.

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु

अधिनियम के बारे में:

- इस अधिनियम को 102 साल पुराने कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लाया गया है। जिम्मेदारी से विकसित किया गया है।

अधिनियम के प्रावधान

- **नमूनों का संग्रह:** यह अधिनियम पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने के लिए अधिकृत करता है।
  - इनमें उंगलियों के निशान, हथेली के
  - निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने शामिल हैं।
- **अधिनियम के अंतर्गत कौन शामिल है:** यह ऐसे व्यक्तियों के दायरे को बढ़ाता है जिसमें सभी दोषियों, गिरफ्तार व्यक्तियों, साथ ही किसी भी निवारक नज़रबंदी कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति शामिल हैं।
- **विवरण का प्रतिधारण:** अधिनियम एकत्र किए गए विवरण को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में 75 वर्षों तक बनाए रखने की इजाज़त देता है।
  - **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, डेटा का एकत्रीकरण,संग्रहण, **संसाधित**, साझा और नष्ट करेगा।
  - सभी अपीलों के बाद बरी कर दिए गए या मुकदमे के बिना रिहा किए गए व्यक्तियों के मामले में रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाएंगे।
- **मजिस्ट्रेट की शक्तियां:** मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को सीआरपीसी के तहत जांच या कार्यवाही के लिए विवरण देने का निर्देश दे सकता है।
- **नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई:** 1920 के अधिनियम में केवल राज्य सरकार में नियम बनाने की शक्ति निहित थी।
  - नया अधिनियम यह शक्ति केंद्र सरकार को भी देता है।

महत्व:

- यह जांच एजेंसियों को आवश्यक कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य प्राप्त करने और **आरोपी व्यक्ति के अपराध को सत्यापित करने में** मदद करेगा।
- **यह अधिनियम संगठित अपराध, साइबर अपराधियों ,पहचान छुपाने और पहचान धोखाधड़ी** में कुशल **आतंकवादियों** से खतरे को कम करेगा।

चिंताएं क्या हैं?

- **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य:** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को जबरन इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर नही कर सकतीं ,चाहे वह अपराधिक जांच के संबंध में हो या किसी अन्य सन्दर्भ में।
    - जांच एजेंसियां संविधान के **अनुच्छेद 20 (3)** द्वारा गारंटीकृत आत्म-अपराध के खिलाफ मौलिक अधिकार और **अनुच्छेद 21** के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार के खिलाफ़ जाकर परीक्षण नहीं कर सकतीं।
- यह अधिनियम किसी **व्यक्ति के निजता** के अधिकार का भी उल्लंघन कर सकता है। वर्तमान में, भारत में डेटा संरक्षण कानून नहीं है।
    - ऐसे में पुलिस द्वारा इतने व्यापक डेटा का संग्रह इस बात पर भी सवाल खड़ा करता है कि इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
- इसका दुरुपयोग किया जा सकता है / नमूनों के आधार पर गलत व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। डीएनए सबूत 100% सटीक नहीं हैं।